[illegible] जिला कलेक्टर महोदय, भीलवाड़ा के [illegible]
[illegible] न्यायालय विविध 2025 / 42033 दिनांक
3-02-2025 की वादना में न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी भीलवाड़ा से पत्रावली उनवान [illegible]
[illegible] की स्थानान्तरित होकर न्याय[illegible]
सहायक कलेक्टर भीलवाड़ा प्राप्त हुई है पत्रा[illegible]
बाद से / प्रार्थना [illegible] पंजीबद्ध किया जाकर
पूर्व न्यायालय के आदेशानुसार पक्षकारान की सुनवाई
हेतु दिनांक 9/6/25 को पेश हो

सहायक कलेक्टर

श्रीमान जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक न्याय / विविध / 2025 / 42033 दिनांक 18/2/25 द्वारा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा में विचाराधीन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा
[illegible] 188, 189 एवं 2[illegible] के [illegible] सवाईपुर की पत्रावलियां अंकित
होकर वास्ते सुनवाई प्राप्त हुई [illegible] का वास्ते सुनवाई तलब किया
जाकर कार्यवाही की जाती है। [illegible] से अंकित उक्त पत्र[illegible] में
[illegible] सम्बन्ध [illegible] किये [illegible] काश्तकारी अधिनियम [illegible] में
[illegible] जाता है कि [illegible] में
[illegible] दिनांक 23/6/25
स्थान Sawaipur पेश हुई। पक्षकारान उप[illegible] / अनुपस्थित पत्रावली वास्ते सुनवाई
दिनांक 17/7/25 को पेश हो

[illegible] भीलवाड़ा

17/7/25

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
अवकाश में है। पत्रावली साविक आदेश
दिनांक 5/8/25 को पेश हो।

आदेशानुसार रीडर

5/8/25 पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं वादी अभिभाषक अनुपस्थित। वादी एवं वादी अभिभाषक को नियमानुसार तीन बार आवाजें लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। वादी एवं वादी अभिभाषक को नियमानुसार तीन बार आवाजें लगाने के बावजूद उपस्थित नहीं आने पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम पैरवी। अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

5/8/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा